૨૩/૪/૫

પ્રા. ભિખાભાઈ વઘુભાઈ ડગ્ગી વાદ વાદ સ્વાગત.
પ્રાર્થના કરી આપવામાં આવી આરતિ-પૂજા
બે વિદ્યાર્થીઓ નામ ગવાયા ગાયાં પછી કરી
ગાઈ હતી આરતિ-શાંતિ પઠન-ઘો
પ્રા. શૈલેષ કુમાર ભીમ ગઢવી સ્વાગત
સૌ નામ પાઠવેલ હાજર હો

डिकरी व मुकदमें इब्तादाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान विजयपाल बनाम गोविन्द वगैरा

दावा बाबत् 88,89,53,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 99/2013

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दढ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

खाता संख्या 6 के खसरा नंबर 218 रकबा 0.20, 219 रकबा 0.19, 563 रकबा 0. 05, 706 रकबा 0.37, 1227 रकबा 0.14, 1228 रकबा 0.14 किता 6 कुल रकबा 1.09 हैक्टेयर हिस्सा 1/4, व खाता संख्या 61 के खसरा नंबर 1519 किता 1 कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर हिस्सा 1/4 व खाता संख्या 62 के खसरा नंबर 263 रकबा 0.30, 281 रकबा 0.29, 282 रकबा 0.29, 290 रकबा 0.46, 339 रकबा 0.26, 345 रकबा 0.19, 431 रकबा 0.47, 437 रकबा 0.86, 491 रकबा 0.28, 562 रकबा 0.19, 559 रकवा 0.19, 610 रकबा 0.09, 728 रकबा 0.22, 759 रकबा 0.20, 779 रकबा 0.10, 789 रकबा 0.12, 805 रकबा 0.72, 806 रकबा 0.37, 1187 रकबा 0.14, 1492 रकबा 0.26, 1525 रकबा 0.14, 1526 रकबा 0.10, 1538 रकबा 0.18, 1542 रकबा 0.30, 1555 रकबा 0.08, 1582 रकबा 0.19, 1583 रकबा 0.01, 1586 रकबा 0.47 किता 29 कुल रकबा 7.74 हैक्टेयर वाके ग्राम दयावली तहसील नदबई पर स्थित है पर वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 सहित मुताबिक हिस्सा 1/5, 1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 गोविन्द सिंह के नाम हो रहे इन्द्राजातों को कलमजन किया जाता है तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बेज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 23.04.24 को जारी की गई ।

दस्तखत— [signature] सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक नदबई (भरतपुर) राज.

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

[signature] 23/4/24
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज.

1. विजयपाल पुत्र श्री मोरध्वज नाबालिग वली माता खुद सकुन्तला बेवा मोरध्वज जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
2. सकुन्तला बेवा मोरध्वज जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)

वादीगण

बनाम

1. गोविन्द सिंह पुत्र श्री नथेली जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
2. राज. सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
3. सब रजिस्ट्रार नदबई।
4. इन्द्रजीत पुत्र श्री गोविन्द सिंह जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
5. साहबसिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
6. वेदप्रकाश पुत्र श्री गोविन्द सिंह जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
7. रामवती बेवा सुघडसिंह जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
8. करनसिंह पुत्र श्री सुघडसिंह जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
9. भगवानस्वरूप पुत्र सुघडसिंह जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
10. भरतसिंह पुत्र सुघडसिंह जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
11. सुरेन्द्रसिंह पुत्र तेजसिंह जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
12. माधवसिंह पुत्र तेजसिंह जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
13. बनैसिंह पुत्र सूखा जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
14. रामस्वरूप पिता सूखा जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
15. तेजो वेबा सूखा जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

23/4/24
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 99/2013
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 23.04.2024

1. विजयपाल पुत्र श्री मोरध्वज नाबालिग वली माता खुद सकुन्तला बेवा मोरध्वज जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
2. सकुन्तला बेवा मोरध्वज जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)

वादीगण

बनाम

1. गोविन्द सिंह पुत्र श्री नथेली जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
2. राज. सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
3. सब रजिस्ट्रार नदबई।
4. इन्द्रजीत पुत्र श्री गोविन्द सिंह जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
5. साहबसिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
6. वेदप्रकाश पुत्र श्री गोविन्द सिंह जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
7. रामवती बेवा सुघडसिंह जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
8. करनसिंह पुत्र श्री सुघडसिंह जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
9. भगवानस्वरूप पुत्र सुघडसिंह जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
10. भरतसिंह पुत्र सुघडसिंह जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)

23/4/24

11. सुरेन्द्रसिंह पुत्र तेजसिंह जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
12. माधवसिंह पुत्र तेजसिंह जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
13. बनैसिंह पुत्र सूखा जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
14. रामस्वरूप पिता सूखा जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)
15. तेजो वेबा सूखा जाति जाट साकिन दयावली तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री फूलसिंह सिनसिनवार एड0(वादीगण)
श्री रामकिशन गुर्जर एड0 (प्रतिवादीगण)

निर्णय

दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण में से सिर्फ वादी संख्या 1 नाबालिग है, जो अपनी माता की वली सरपरस्ती में रहता है उसके हित उसके विपरीत नहीं है, वकाया वाद के लिए पूर्ण सक्षम व्यक्ति है।
2. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4 से 6 एक ही परिवार के सदस्य हैं,।
3. यह कि खाता संख्या 6 के खसरा नंबर 218 रकबा 0.20 , 219 रकबा 0.19, 563 रकबा 0.05, 706 रकबा 0.37, 1227 रकबा 0.14, 1228 रकबा 0.14 किता 6 कुल रकबा 1.09 हैक्टेयर हिस्सा 1/4, व खाता संख्या 61 के खसरा नंबर 1519 किता 1 कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर हिस्सा 1/4 व खाता संख्या 62 के खसरा नंबर 263 रकबा 0.30, 281 रकबा 0.29, 282 रकबा 0.29, 290 रकबा 0.46, 339 रकबा 0.26, 345 रकबा 0.19, 431 रकबा 0.47, 437 रकबा 0.86, 491 रकबा 0.28, 562 रकबा 0.19, 559

23/4/24

रकबा 0.19, 610 रकबा 0.09, 728 रकबा 0.22, 759 रकबा 0.20, 779 रकबा 0.10, 789 रकबा 0.12, 805 रकबा 0.72, 806 रकबा 0.37, 1187 रकबा 0.14, 1492 रकबा 0.26, 1525 रकबा 0.14, 1526 रकबा 0.10, 1538 रकबा 0.18, 1542 रकबा 0.30, 1555 रकबा 0.08, 1582 रकबा 0.19, 1583 रकबा 0.01, 1586 रकबा 0.47 किता 29 कुल रकबा 7.74 हैक्टेयर हिस्सा 1/2, जिसके खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड हो रहे हैं, शेष हिस्से के अन्य तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 7 से 15 मुताबिक हिस्सा दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड है।

4. यह कि वादीगण के पिता/पति मोरध्वज का स्वर्गवास हो चुका है तथा आराजी वर्णित वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण सं. 4 से 6 की पैतृक आराजी है, जो उनके परबाबा/बाबा नथौली से प्राप्त आराजी है, जो उनके देहान्त उपरान्त वादीगण के बाबा अकेले के नाम विरासतन दर्ज हो गयी है, जबकि वादीगण का भी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हिस्सा 1/5 के हिसाब से तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 सहित व हिस्सा बराबर का जन्म से ही अधिकार खातेदारी प्राप्त हो चुके हैं जिन्हें हासिल करने के वादीगण मुश्तहक है, लिहाजा आराजी वर्णित मद सं. 3 वाद पत्र वाके ग्राम दयावली तहसील नदबई पर वादीगण हिस्सा 1/5 वाहिस्सा बराबर प्रतिवादी सं. 1 के साथ तरतीवी प्रतिवादीगण सं. 4 से 6 सहित उनके हिस्सा 1/5 के भी अनुसार सहकाश्तकार खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम हो रहे इन्द्राजात काबिल कलमजन के है।

23/4/24

5. यह कि वादीगण आराजी मुतनाजा वर्णित मद सं. 3 वादपत्र पर अपने पिता के मरणोपरान्त उनके हिस्से 1/5 प्रतिवादी सं. 1 के साथ काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रतिवादी सं. 1 अपने पुत्रों प्रतिवादीगण तरतीवी सं. 4 से 6 मिलकर वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल करने पर उतारू हैं, व गांव से भगाना चाहते हैं व दीगर व्यक्तियों को रहनवयमुन्तकिल करने पर आमादा हैं तथा इस की धमकी उन्होंने वादीगण को दिनांक 04.06.2013 को वामुकाम दयावली में दी है, अगर प्रतिवादीगण अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजीम क्षति होगी, जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी, वदी वजह वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल नहीं करे व रहन वय मुन्तकिल न करें।

6. यह कि आराजी वर्णित मद संख्या 3 वाद पत्र में से मुताबिक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण सं.1 व 4 से 6 तथा 7 से 15 के मध्य पृथक–पृथक कुरे जात निर्धारित कराकर पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज करायी जा जावे।

7. यह है कि विनाय मुखायस्मत व योम देने धमकी बेदखली दिनांक 4.6.13 को देने से वादपत्र हासिल करने का हक हासिल हुआ है।

8. यह है कि पक्षकारन व आराजी मुतनाजा अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से श्रवणवाद अदालत श्रीमान के हक हासिल हुआ है।

9. यह है कि कोर्ट फीस व तलवाना नियमानुसार चस्पा कर पेश है।

23/4/24

10. यह है कि लैण्ड होल्डर होने व रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी होने व रहन होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को पक्षकारान मुकदमा बनाया गया है।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे—:आराजी वर्णित मद संख्या 3 वाद पत्र वाकेग्राम दयावली तहसील नदबई पर वादीगण के प्रतिवादी के साथ तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 से 6 सहित मुताबिक हिस्सा 1/5, 1/5 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किये जावे। तथा आराजी वर्णित मद संख्या 3 वाकेग्राम दयावली में से मुताबिक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 से 6 तथा 7 से 15 के मध्य पृथक—पृथक कुरेजात निर्धारित कराकर पृथक—पृथक खातेदारी दर्ज करायी जावे।एवं प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजी वर्णित मद संख्या 3 में से आयी हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करें।

11. वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 4 लगायत 6 की ओर से श्री रामकिशन गुर्जर एडवोकेट उपस्थित हुए। एवं प्रतिवादी संख्या 11,12,14 की ओर से श्री लक्ष्मणसिंह एडवोकेट उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 व 13 को वाद से तर्क किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2,3,15 जरिए नोटिस तामील बावजूद भी न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 4

23/5/24

लगायत 6 तथा 11,12,14 की ओर से जबावदावा पेश किया गया जो कि निम्नानुसार है–

1. यह कि अर्जी दावा की मद सं.1 गौर अदालत है जो कानूनी बिन्दु के आधार पर है।
2. यह कि वाद पत्र की मद सं.2 अस्वीकार है क्योंकि वादी ने अपने सजरों में नथोली किसका पुत्र था यह नहीं दर्शाया है। जबकि नथोली नाम का अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। इसलिए वाद वादी काबिल खारिजी है
3. यह कि वाद पत्र की मद सं .3 आंशिक स्वीकार है।
4. यह कि वाद पत्र की मद सं. 4 अस्वीकार है क्योंकि उक्त विवादित आराजी पैतृक नहीं है। वादी के बाबा को परबाबा से प्राप्त नहीं हुई न विरासतन ना ही विरासतन प्राप्त हुई। जबकि वादी के बाबा को उक्त विवादित भूमि कब्जे में प्राप्त हुई है वादी के परबाबा नथोली के नाम उक्त भूमि कभी नाम नहीं रही है इसलिए उक्त जमीन पैतृक नहीं होने के कारण वादी का कोई हिस्सा नहीं बनता है क्योंकि बाबा के जीवनकाल में स्वअर्जित होने के कारण कोई अधिकार हांसिल नहीं है इसलिए उक्त वाद काबिल खारिजी के है।
5. यह कि वाद पत्र की मद सं. 5 अस्वीकार है क्योंकि जब वादीगण का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तो धमकी देने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। वादी,प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करा पाने का अधिकारी है। क्योंकि प्रतिवादी की उक्त विवादित भूमि स्वअर्जित है जो प्रतिवादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

23/4/24

फोर्स में आने पर प्राप्त हुई है। इसलिए वादीगण का उक्त भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए उक्त वाद वादी काबिल खारिजी के है।

6. यह कि वाद पत्र की मद सं. 6 अस्वीकार है क्योंकि जब वादीगण का उक्त विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तो बंटवारा करा पाने का अधिकारी नहीं है इसलिए उक्त वाद वादी काबिल खारिजी के है।

12. यह कि वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जबाब दावा के विवेचन के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई :–

1. आया विवादित आराजी वादपत्र की वर्णित मद सं. 3 वाके ग्राम दयावली पर वादीगण हिस्सा 1/5 व हिस्सा बराबर, प्रतिवादी स. 1 के साथ तीतीवी प्रति. स. 4 लगायत 6 सहित उनके हिस्सा 1/5,1/5 के अनुसार सह काश्तकार खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी स. 1 के नाम हो रहे इन्द्राजात काबिल कलमजन के है। – जिम्मेवादी
2. आया वादिनी खिलाफ़ प्रतिवादीगण को स्थाई निषेज्ञाया से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है। – जिम्मेवादी
3. आया विवादित आराजी मंद स. 3 वाके ग्राम दयावली मे से मुताबिक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण स. 1, 4 लगायत 6 व 7 लगायत 15 के मध्य पृथक–2 कुर्रेजात निर्धारित कराकर पृथक–2 खातेदारी दर्ज करापाने के अधिकारी है। – जिम्मेवादी

23/4/24

4. आया वादी ने अपने सजरा में नथोली किसका पुत्र था यह नही दर्शया है जबकि नथोली नाम का अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। इसलिए वाद वादी काबिल खारिजी के — — जिम्मेप्रतिवादी

5. आया विवादित आराजी वादीगण की पैत्रिक आराजी नही है न ही वादी के बाबा को परबाबा से प्राप्त नही हुई है। उक्त विवादित आराजी कब्जे में प्राप्त हुई है वादी के परबाबा नथोली के नाम भूमि कभी नही रही है। इसलिए पैत्रिक आराजी न होने से वाद काबिल खारिजी के है। — जिम्मेप्रतिवादी

यह कि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संबत 2078–71 वाके ग्राम दयावली प्रदर्श 1 व 2, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम दयावली प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी संवत 2028 भूप्रबंधक विभाग वाके ग्राम दयावली प्रदर्श 4, 5 व 6 वाकेग्राम दयावली पेश किये गये एवं साक्ष्य के रूप में शकुन्तला बेवा मोरध्वज जाति जाट निवासी दयावली का शपथ पत्र पेश किया गया।

यह कि प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये गये।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकीवार निम्नानुसार है :—

23/4/24

1. आया विवादित आराजी वादपत्र की वर्णित मद सं. 3 वाके ग्राम दयावली पर वादीगण हिस्सा 1/5 व हिस्सा बराबर, प्रतिवादी स. 1 के साथ तीतीवी प्रति. स. 4 लगायत 6 सहित उनके हिस्सा 1/5,1/5 के अनुसार सह काश्तकार खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी स. 1 के नाम हो रहे इन्द्राजात काबिल कलमजन के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2068–71 वाके ग्राम दयावली प्रदर्श 1 व 2 में विवादित आराजी खाता संख्या 60, 61, 62 के खसरा नंबरान पर प्रतिवादी संख्या 1 गोविन्द सिंह पुत्र नथौली जाति जाट साकिन दयावली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं अन्य तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 15 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तथा वादी द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 वाके ग्राम दयावली पेश की गई जिसमें हाल एवं गत खसरा नंबरान का मिलान हो रहा है जो प्रदर्श 3 से साबित है। तथा नकल जमाबंदी संवत 2028 भूप्रबंधक विभाग वाके ग्राम दयावली प्रदर्श 4 लगायत 6 पेश की गई जिस पर खाता संख्या 60, 62, 63, 64 में वादीगण के परबाबा नथौली पुत्र जोधा जाति जाट साकिन देह के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज थी इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 की पैतृक आराजीयात साबित होती है तथा नथौली के मरने के बाद उक्त विवादित आराजीयात पर वादीगण के बाबा गोविन्दसिंह के नाम दर्ज हो गई। उपरोक्त पैतृक आराजीयात में वादीगण का जन्म से ही खातेदार अधिकार प्राप्त हो

23/4/24

गए हैं तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शकुन्तला बेवा मोरध्वज के बयान पेश किए गए जो वादीगण के वादपत्र का समर्थन करता है। उक्त तनकी के विरोध में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज व साक्ष्य पेश नहीं किया अतः उक्त तनकी वादीगण के हक व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

2. आया वादिनी खिलाफ प्रतिवादीगण को स्थाई निषेज्ञाया से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से तनकी संख्या 1 में साबित किया जा चुका है कि उक्त विवादित आराजीयात पैतृक संपति की आराजी है। उक्त पैतृक संपत्ति में वादीगण को खातेदार अधिकार प्राप्त होना साबित है। अतः वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है। अतः उक्त तनकी वादीगण के हक में तय की जाती है।

3. आया विवादित आराजी मंद स. 3 वाके ग्राम दयावली मे से मुताबिक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण स. 1 , 4 लगायत 6 व 7 लगायत 15 के मध्य पृथक–2 कुर्रेजात निर्धारित कराकर पृथक–2 खातेदारी दर्ज करापाने के अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा वादपत्र में एक प्रार्थना पत्र तनकी संख्या 3 जो कि बंटवारा मुताबिक हिस्सा कराए जाने बाबत् तय की गई है उसको स्वीकार करते हुए उक्त तनकी को दिनांक 08.07.15 को तर्क किया गया तथा वादीगण द्वारा बंटवारा नहीं चाहा गया। इस

23/4/24

प्रकार वादीगण के प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त तनकी को वादपत्र से तर्क किया गया।

4. आया वादी ने अपने सजरा में नथोली किसका पुत्र था यह नही दर्शया है जबकि नथोली नाम का अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। इसलिए वाद वादी काबिल खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादी द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा ग्राम पंचायत द्वारा सजरा पेश नहीं किया गया जिससे साबित होता हो कि नथौली किसका पुत्र था। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

5. आया विवादित आराजी वादीगण की पैत्रिक आराजी नही है न ही वादी के बाबा को परबाबा से प्राप्त नही हुई है। उक्त विवादित आराजी कब्जे में प्राप्त हुई है वादी के परबाबा नथोली के नाम भूमि कभी नही रही है। इसलिए पैत्रिक आराजी न होने से वाद काबिल खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था। तनकी संख्या 1 के निर्णयानुसार विवादित आराजीयात पैतृक आराजीयात है जोकि वादीगण के परबाबा नथौली पुत्र जोधा जाति जाट के नाम संवत 2028 में दर्ज रही है तथा नथौली से प्रतिवादी संख्या 1 गोविन्द सिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है इस प्रकार उक्त विवादित आराजी भूमि पैतृक है। उक्त तनकी के विरोध में प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

23/4/24

उपरोक्त तनकीवार निर्णय विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि वादपत्र के मद संख्या 3 में वर्णित विवादित आराजीयात खसरा नंबरान वाकेग्राम दयावली पर स्थित है जोकि उक्त विवादित भूमि पैतृक आराजी की भूमि है जो वादीगण के परबाबा नथौली पुत्र जोधा के नाम संवत 2028 में दर्ज रिकॉर्ड रही है तथा नथौली के मरने के बाद उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 गोविन्द सिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड आई है। इस प्रकार पैतृक आराजीयात की भूमि में वादीगण को जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 गोविन्द सिंह के नाम चले आ रहे खातेदारी इन्द्राजात काबिल कलमजन के है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि खाता संख्या 6 के खसरा नंबर 218 रकबा 0.20, 219 रकबा 0.19, 563 रकबा 0.05, 706 रकबा 0.37, 1227 रकबा 0.14, 1228 रकबा 0.14 किता 6 कुल रकबा 1.09 हैक्टेयर हिस्सा 1/4, व खाता संख्या 61 के खसरा नंबर 1519 किता 1 कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर हिस्सा 1/4 व खाता संख्या 62 के खसरा नंबर 263 रकबा 0.30, 281 रकबा 0.29, 282 रकबा 0.29, 290 रकबा 0.46, 339 रकबा 0.26, 345 रकबा 0.19, 431 रकबा 0.47, 437 रकबा 0.86, 491 रकबा 0.28, 562 रकबा 0.19, 559 रकबा 0.19, 610 रकबा 0.09, 728 रकबा 0.22, 759 रकबा 0.20, 779 रकबा 0.10, 789 रकबा 0.12, 805 रकबा 0.72, 806 रकबा 0.37, 1187 रकबा 0.14, 1492 रकबा 0.26, 1525 रकबा 0.14, 1526 रकबा 0.10, 1538 रकबा

0.18, 1542 रकबा 0.30, 1555 रकबा 0.08, 1582 रकबा 0.19, 1583 रकबा 0.01, 1586 रकबा 0.47 किता 29 कुल रकबा 7.74 हैक्टेयर वाके ग्राम दयावली तहसील नदबई पर स्थित है पर वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 सहित मुताबिक हिस्सा 1/5, 1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 गोविन्द सिंह के नाम हो रहे इन्द्राजातों को कलमजन किया जाता है तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

23/4/24

([illegible] R.A.S.)

कार्यपालक दण्डनायक

सहायक कलक्टर नदबई

सत्यमेव जयते